


12

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंत्रालय गतानिगम म०प्र०।

R. 5026-दे/15



Rs. 20/-

1- बाल्मोक साहू पिता पंचम साहू निवासी ग्राम बरहा तह० सेमरिया जिला
 2- विश्वनाथ साहू तनय श्री पंचमलाल साहू निवासी ग्राम / ~~बरेल्लमपैल~~
 बरहा तह० सेमरिया जिला रोवा म०प्र० हाल सुकाम दिनौता तह० सेमरिया
 जिला रोवा म०प्र० ----- आवेदक गण । निग०क्त

बनाम

1- श्रीमती मधुन प्रत्नी मोलई साहू निवासी ग्राम बरहा तहसील सेमरिया
 जिला रोवा म०प्र० ----- रेखा० ।

श्री. ~~पुणेन्द्र~~ साहेब एड
 द्वारा आज दिनांक 03-9-15 के
 प्रस्तुत किया गया
 एड
 रजिस्ट्रार कोर्ट रोवा

अन्तरिम निगरानी न्यायालय अनुविभागीय
 अधिकारी सिरमौर के रा०प्र०क्र० 43/ए-6/
 अभील/ 2012-13 , अन्तरिम आदेश दि०
 29-07-15 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :-

अं यहकि आ०ख०क्र० 368/1 रकबा 0-607 हे० स्थित ग्राम बरहा
 प०ह० बीड़ा सर्पिल शाहपुर तह० सेमरिया जिला रोवा की भूमि को आवेद
 गणों ने र अनावेदक को विक्रीत भूमि का विक्रय प्रतिफल 4,05,500/- वि०

378
 3.9.15


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 5026-II/15 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.2026-II/15

जिला-रीवा

बाल्मीक साहू/मधुसूदन साहू

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> प्रदस्य</p>	

✓